क्यों राजनीतिक दल सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन होने चाहिए?

(केन्द्रीयसूचना आयोग की दायर शिकायत से मुख्य निष्कर्ष)

1. अपील करने के लिए अग्रणी तथ्य –

एडीआर ने सुचना के अधिकार के अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत BJP,INC,BSP,NCP,CPI,CPI(M) के सचिवो/पीईओ से जानकारी के लिए आवेदन दायर किया। अधिकांश पार्टियों ने या तो उत्तर नही दिया या फिर एक सार्वजनिक प्राधिकरण होने से इनकार कर दिया। आवेदन से निम्नलिखित जानकारी माँगी गयी थी।

(अ) वित्तीय वर्ष 2004–05 से 2009–10 के दौरान पार्टी को मिलने वाले 10 अधिकतम् स्वैच्दिक योगदान का विवरण।

(ब) वित्तीय वर्ष 2004–05 से 2009–10 के दौरान को 1 लाख रूपये से अधिक का स्वैच्छिक योगदान देने वालों का उनके पते के साथ विवरण।

2. राजनीतिक दलों को लोक प्राधिकरण घोषित किया जाए

राजनीतिक दलों को पर्याप्त मात्रा में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती है अतः सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुभाग 2 (h) राजनीतिक दलों के लिए लागू होता है।

यह अनुभाग लोक प्राधिकरण को इस प्रकार परिभाषित करता है।

लोक प्राधिकरण अर्थात कोई भी स्वशासित प्राधिकरण अथवा निकाय अथवा संस्था (संस्थापित या संवैधानिक) –

(अ) संविधान के द्वारा या उसके अन्तर्गत
(ब) संसद द्वारा पारित किसी अन्य कानून के द्वारा
(स) राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित किसी अन्य कानून के द्वारा
(द) अधिसूचना या उपयुक्त सरकार द्वारा बनाए गए आदेश के द्वारा

तथा इनमें से कुछ भी रखता हो–

(i) स्वामित्व वाली, नियंत्रित या पर्याप्त वित्त पोषित निकाय

(ii) पर्याप्त मात्रा में वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन

– प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपयुक्त सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गई निधियों द्वारा

3. एकत्र किए गए आंकड़ों और प्रस्तुत करने के लिए आधार का विश्लेषण

राजनीतिक दल करदाताओं के धन से पर्याप्त मात्रा में पोषित होती हैं अतः उनको लोक प्राधिकरण घोषित कर देना चाहिए। उन पर बड़ी मात्रा में धन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन मदों में खर्च होता है -

(अ) चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को मुफ्त प्रसारण के लिए राजकीय वित्तीय पोषण पर –

चुनाव आयोग के आदेश संख्या 437/TVs/2009/M & TS के अनुसार रानजीतिक दलों को राज्य के स्वामित्व वाले दूरदर्शन एवं आकाशवाणी रेडियो पर मुफ्त प्रसारण उपलब्ध कराया जाता है।

राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले मुफ्त प्रसारण के लिए राज्य सरकारों ने कितना धन खर्च किया यह जानने के लिए हमने 2009 चुनावों के दौरान खर्च का उदाहरण लिया। नीचे दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क एवं आकाशवाणी रेडिओ के लिए राजनीतिक दलों पर किए गए खर्च का विवरण दिया गया है –

अ. (1) राज्यों द्वारा दूरदर्शन पर मुफ्त प्रसारण के लिए किया गया धन – दूरदर्शन द्वारा प्रत्येक 10 सेकण्ड के लिए ली जाने वाली राशि प्रसारण समय पर निर्भर करते है। दूरदर्शन प्रसारण समय के अनुसार 3 दरों पर प्रसारण करता है। ये दरें क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय नेटवर्क के लिए अलग–अलग हैं। दोनों नेटवर्कों की दरें नीचे दी गई हैं –

राष्ट्रीय नेटवर्क –

1.	प्राइम समय –	रू. 60,000	प्रति 10 सेकण्ड
2.	मिड प्राइम –	रू. 15,000	प्रति 10 सेकण्ड
3.	नॉन प्राइम समय–	रू. 15,000	प्रति 10 सेकण्ड

क्षेत्रीय नेटवर्क –

1. प्राइम समय – रू. 20,000 प्रति 10 सेकण्ड
2. मिड प्राइम – रू. 15,000 प्रति 10 सेकण्ड
3. नॉन प्राइम – रू. 10,000 प्रति 10 सेकण्ड

प्रत्येक दल को आवंटित प्रसारण समय ड्रॉ के द्वारा निर्धारित किया जाता है। हम प्रत्येक दल को आवंटित प्रसारण समय की जानकारी प्राप्त नहीं कर पाये फिर भी सबसे कम दर को ही लागू दर मानकर (नॉन प्राइम) जो 15000 रू. प्रति 10 सेकेण्ड राष्ट्रीय नेटवर्क के लिए है तथा 10,000 रु. प्रति 10 सेकेण्ड क्षेत्रीय नेटवर्क के लिए है, हम यह जान सकते हैं कि राज्य द्वारा राजनीतिक दलों पर कितना व्यय हुआ –

क्रमाँक	दल का नाम	राष्ट्रीय नेटवर्क पर लोकसभा 2009 के दौरान आवंटित प्रसारण समय (मिनट में)	10 सेकेण्ड के लिए दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क द्वारा ली जाने वाली राशि	राज्य द्वारा राष्ट्रीय नेटवर्क के लिए लोक सभा 2009 के दौरान व्यय राशि (करोड़ में)	क्षेत्रीय नेटवर्क पर लोक सभा 2009 के दौरान आवंटित प्रसारण समय (मिनट में)	10 सैकेण्ड के लिए दूरदर्शन के क्षेत्रीय नेटवर्क द्वारा ली जाने वाली राशि	राज्य द्वारा क्षेत्रीय नेटवर्क के लिए लोक सभा 2009 के दौरान व्यय राशि (करोड़ में)	लोकसभा के दौरान राज्य द्वारा राजनीतिक दलों पर क्षेत्रीय व राष्ट्रीय नेटवर्क पर व्यय कुल राशि करोड़ में
1	BJP	140	15,000	**1.26**	215	10,000	**1.25**	**2.51**
2	INC	160	15,000	**1.44**	240	10,000	**1.44**	**2.88**
3	BSP	70	15,000	**0.63**	100	10,000	**0.60**	**1.23**
4	CPI	50	15,000	**0.45**	75	10,000	**0.45**	**0.90**
5	CPI(M)	70	15,000	**0.63**	105	10,000	**0.63**	**1.26**
6	NCP	50	15,000	**0.45**	80	10,000	**0.48**	**0.93**
7	RJD	55	15,000	**0.49**	85	10,000	**0.51**	**1.00**
	Total	**595**		**5.35**	**900**		**5.40**	**10.75**

सूची 1 : लोक सभा 2009 चुनावों के दौरान राज्य द्वारा राजनीतिक दलों पर व्यय राशि

उपरोक्त राशि केवल लोक सभा 2009 के लिए है। 7 अन्य राज्यों अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्रप्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा में भी चुनाव लोक सभा के चुनावों के साथ हुए थे परन्तु हमने उन चुनावों में राज्य द्वारा राजनीतिक दलों के प्रचार पर किए गए व्यय की गणना नहीं की है।

अ. (2) राज्यों द्वारा ऑल इण्डिया रेडियो पर मुफ्त प्रसारण पर व्यय

ऑल इण्डिया रेडियो द्वारा प्रत्येक 10 सेकण्ड के लिए ली जाने वाली राशि प्रसारण समय पर निर्भर करते है। ऑल इण्डिया रेडियो पर प्रत्येक 10 सैकेण्ड के लिए 3 दरें हैं।

समय श्रेणी एवं उसके अनुसार राशि नीचे दी गई है।

1.	समय – 1	19:00–20:00	रू. 1200 प्रति 10 सेकण्ड
2.	समय – 2	20:00–01:00	रू. 1000 प्रति 10 सेकण्ड
3.	समय – 3	01:00–06:00	रू. 800 प्रति 10 सेकण्ड

प्रत्येक दल को आवंटित प्रसारण समय ड्रॉ के द्वारा निर्धारित किया जाता है। हम प्रत्येक दल को आवंटित प्रसारण समय की जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए परन्तु सबसे कम दर को ही लागू दर (समय–3) जो 800 रु. प्रति 10 सैकेण्ड है हम यह जान सकते हैं कि राज्य द्वारा राजनीतिक दलों पर कितना व्यय हुआ –

क्रमॉंक	दल का नाम	ऑल इण्डिया रेडियो पर लोक सभा 2009 के दौरान राजनीतिक दलों को आवंटित समय (मिनट में)	ऑल इण्डिया रेडियो द्वारा समय–3 के लिए प्रति 10 सैकेण्ड दर	राज्य द्वारा रेडियो के लिए व्यय – लाख में
1	BJP	140	800	**6.72**
2	BSP	70	800	**3.36**
3	CPI	50	800	**2.40**
4	CPI(M)	70	800	**3.36**
5	INC	160	800	**7.68**

6	NCP	50	800	**2.40**
7	RJD	55	800	**2.64**
	Total	**595**	**800**	**28.56**

सूची –2 राज्यों द्वारा लोस 2009 के दौरान रेडियो के द्वारा प्रचार के लिए राजनीतिक दलों पर किया गया व्यय।

लोस 2009 के साथ–साथ 7 अन्य राज्यों अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा में भी चुनाव हुए थे। परन्तु हमने उन चुनावों में राज्य द्वारा राजनीतिक दलों के प्रचान पर किए व्यय की गणना नहीं की है। परन्तु अगर हम उसकी गणना करें तो यह एक बड़ी राशि होगी जिनसे सिद्ध होता है कि राजनीतिक दल प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से राज्य द्वारा वित्तपोषित हैं अतः उन्हें लोक प्राधिकरण घोषित किया जाए।

विधान सभा चुनाव 2012 पर दूरदर्शन एवं ऑल इण्डिया रेडियो पर किया गया व्यय–

नीचे जनवरी– मार्च 2012 में हुए विधान सभा चुनावों (यूपी, उत्तराखण्ड, पंजाब, गोआ, मणीपुर) के लिए दूरदर्शन (क्षेत्रीय केन्द्र) एवं ऑल इण्डिया रेडियो द्वारा ली गई राशि का विश्लेषण दिया गया है –

(दोनो के लिए न्यूनतम वाणिज्यिक दरों को विचारित किया गया है)

विधान सभा चुनाव	राजनीतिक दल	दूरदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्रों पर राजनीतिक दलों के लिए आवंटित समय (मिनट में)	राज्य द्वारा व्यय राशि (लाख में) (10000रु. /10 सैक.)	ऑल इण्डिया रेडियो पर दल को आवंटित समय	राज्य द्वारा व्यय राशि (लाख में) (800 रु. /10 सैक.)	दोनों की सम्मिलित व्यय राशि (लाख में)
Uttar Pradesh (2012)	BSP	178	106.80	178	8.544	115.344
	BJP	119	71.40	119	5.712	77.12
	CPI	45	27	45	2.16	29.16

विधान सभा चुनाव	राजनीतिक दल	दूरदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्रों पर राजनीतिक दलों के लिए आवंटित समय (मिनट में)	राज्य द्वारा व्यय राशि (लाख में) (10000रु. /10 सैक.)	ऑल इण्डिया रेडियो पर दल को आवंटित समय	राज्य द्वारा व्यय राशि (लाख में) (800 रु. /10 सैक.)	दोनों की सम्मिलित व्यय राशि (लाख में)
	CPI(M)	46	27.60	46	2.208	29.808
	INC	83	49.80	83	3.984	53.784
	NCP	45	27	45	2.16	29.16
	RLD	46	27.60	46	2.208	29.808
	SP	156	93.60	156	7.488	101.388
	Total	720	432	720	34.56	466.56
Punjab (2012)	BSP	59	35.40	59	2.832	38.232
	BJP	73	43.80	73	3.504	47.304
	CPI	48	28.80	48	2.304	31.104
	CPI(M)	46	27.60	46	2.208	29.808
	INC	186	111.60	186	8.928	120.528
	NCP	45	27	45	2.16	29.16
	SAD	173	103.80	173	8.304	112.104
	Total	630	378	630	30.24	408.24
Uttarakhand	BSP	91	54.60	91	4.368	58.968

विधान सभा चुनाव	राजनीतिक दल	दूरदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्रों पर राजनीतिक दलों के लिए आवंटित समय (मिनट में)	राज्य द्वारा व्यय राशि (लाख में) (10000रु. /10 सैक.)	ऑल इण्डिया रेडियो पर दल को आवंटित समय	राज्य द्वारा व्यय राशि (लाख में) (800 रु. /10 सैक.)	दोनों की सम्मिलित व्यय राशि (लाख में)
(2012)	BJP	169	101.40	169	8.112	109.512
	CPI	46	27.60	46	2.208	29.808
	CPI(M)	46	27.60	46	2.208	29.808
	INC	160	96	160	7.68	103.68
	NCP	52	31.20	52	2.496	33.696
	UKD(P)	33	19.80	33	1.584	21.384
	JUKD	33	19.80	33	1.584	21.384
	Total	630	378	630	30.24	408.24
Manipur (2012)	BSP	45	27	45	2.16	29.16
	BJP	50	30	50	2.40	32.4
	CPI	76	45.60	76	3.648	49.248
	CPI(M)	45	27	45	2.16	29.16
	INC	230	138	230	11.04	149.04
	NCP	91	54.60	91	4.368	58.968
	MPP	128	76.80	128	6.144	82.944

विधान सभा चुनाव	राजनीतिक दल	दूरदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्रों पर राजनीतिक दलों के लिए आवंटित समय (मिनट में)	राज्य द्वारा व्यय राशि (लाख में) (10000रु. /10 सैक.)	ऑल इण्डिया रेडियो पर दल को आवंटित समय	राज्य द्वारा व्यय राशि (लाख में) (800 रु. /10 सैक.)	दोनों की सम्मिलित व्यय राशि (लाख में)
	RJD	81	48.60	81	3.888	52.488
	NPP	64	38.40	64	3.072	41.472
	Total	810	486	810	38.88	848.88
Goa (2012	BSP	45	27	45	2.16	29.16
	BJP	175	105	175	8.40	113.4
	CPI	46	27.6	46	2.208	29.808
	CPI (M)	45	27	45	2.16	29.16
	INC	183	109.80	183	8.784	118.584
	NCP	66	39.60	66	3.168	42.768
	MAG	82	49.20	82	3.936	53.136
	SGF	78	46.80	78	3.744	50.544
	Total	720	432	720	34.56	466.56

सूची –3 विधान सभा चुनाव 2012 में दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर व्यय राशि

प्रमुख राजनीतिक	विघान सभा चुनावों में व्यय राशि (लाख में)	5 राज्यों द्वारा 2012 में व्यय राशि (करोड़ में)

दल	U.P	Punjab	Uttrakhand	Manipur	Goa	
BSP	115.344	38.232	58.968	29.16	29.16	2.70
BJP	77.12	47.304	109.512	32.3	113.4	3.80
CPI	29.16	31.104	29.808	49.248	29.808	1.70
CPI(M)	29.808	29.808	29.808	29.16	29.16	1.48
INC	53.78	120.52	103.68	149.04	118.58	5.46
NCP	29.16	29.16	33.7	58.96	42.76	1.94
राज्य द्वारा सभी मान्य राजनीतिक दलों पर 2012 में 5 विधान सभा चुनावों पर (दूरदर्शन व आकाशवाणी) पर किया गया व्यय।					**Rs. 25.98 crores**	

(ब) मतदाता सूची पर चुनाव के दौरान राज्य द्वारा होने वाला व्यय –

मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 11 और 12 के अनुसार सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मतदाता सूची बनने एवं अंतिम प्रकाशन के बाद उसकी 2 प्रतियाँ, एक मुद्रित प्रति तथा एक सीडी में निःशुल्क दी जाती है। चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त दलों को दी जाने वाली विभिन्न चुनाव क्षेत्रों की मतदाता सूची पर व्यय जानने के लिए सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन किया गया। उससे प्राप्त जानकारी नीचे दी गई है–

क्रमाँक	चुनाव क्षेत्र	राज्य	विभिन्न भारतीय सरकारी विभागों द्वारा सूचना आवेदन पर दी गई सूचना	1 मतदाता सूची का खर्च
1	Bangalore North	Karnataka	Cost per roll is ₹97000 for 4 candidates.	₹97,000
2	Shillong	Meghalaya	Total Cost for 3 sets given to 3 candidates	₹1,00,553

			contesting from recognized parties is ₹3,01,660	
3	Tura	Meghalaya	Total Cost for 2 candidates from recognized political parties is ₹1,74,468	₹87,234
4	Howrah	West Bengal	Total Cost for candidates of recognized political parties is ₹1,98,604	₹49,651
5	Uluberia	West Bengal	Total Cost for candidates of recognized political parties is ₹1,85,553	₹46,388
6	Namakkal	Tamil Nadu	Total cost for 4 candidates of recognized parties is ₹79,896	₹19,974
7	Fatehpur Sikri	Uttar Pradesh	Total cost is ₹1,96,712 for candidates of recognized political parties	₹49,178
8	Deoria	Uttar Pradesh	Cost for each candidate from recognized party is ₹33,319.50	₹33,319
9	Salempur	Uttar Pradesh	Cost for each candidate from recognized party is ₹22,321.50	₹22,321
10	Amravati	Maharashtra	Total Cost for 2 candidates of recognized political parties is ₹1,19,266	₹59,633
Average cost for 1 electoral roll= Sum of cost for 1 roll/No. of Constituencies				**₹56,525**

यदि हम प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रति मान्यता प्राप्त दल प्रत्याशी 1 मतदाता सूची पर व्यय की गणना करें तो यह लगभग **56525 रु.** है। (सूत्र – सभी निर्वाचन क्षेत्र के लिए 1 सूची का कुल मू./कुल चुनाव क्षेत्र)

इस औसत का प्रयोग करके तथा मान्यता प्राप्त दलों के कुल प्रत्याशियों कीसं. द्वारा हम यह जान सकते हैं कि मतदाता सूची पर राज्य कितना व्यय करते हैं। प्रत्येक दल पर व्यय कुल राशि निम्नलिखित हैं –

दल	लोक सभा 2009 में कुल प्रत्याशियों की सं.	1 मतदाता सूची पर औसत व्यय	राज्य द्वारा मतदाता सूची पर लोक सभा 2009 में व्यय राशि (करोड़ में)

BSP	500	₹ 56,525	**₹ 2.82**
BJP	433	₹ 56,525	**₹ 2.45**
INC	440	₹ 56,525	**₹ 2.48**
CPI	56	₹ 56,525	**₹ 0.31**
CPI (M)	82	₹ 56,525	**₹ 0.46**
NCP	68	₹ 56,525	**₹0.38**
RJD	44	₹ 56,525	**₹0.25**

उपरोक्त राशि लोक सभा 2009 चुनावों में राज्य द्वारा राजनीतिक दलों को निःशुल्क मतदाता सूची उपलब्ध कराने में व्यय हुई। इस मद में 7 राज्यों (आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, झारखण्ड, महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा) में हुए चुनावों में हुआ व्यय हमने विचारित नहीं किया है। इन राज्यों में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों के लगभग 3800 प्रत्याशी थे। इन राज्यों में शासन द्वारा मतदाता सूची पर व्यय राशि बहुत अधिक होगी अतः राजनीतिक दल पर्याप्त मात्रा में सरकार द्वारा वित्तपोषित है अतः उन्हें लोक प्राधिकरण घोषित किया जाना चाहिए।

(स) **राजनीतिक दलों के लिए देय कर में छूट –**

आयकर अधिनियम की धारा 13 A के अनुसार देय कर में छूट के कारण राजनीतिक दलों को आधार पर बड़ी मात्रा में छूट मिलती है। विशेषज्ञो की सहायता से राजनीतिक दलों द्वारा दायर आयकर रिटर्न विश्लेषित किया गया और इसी विश्लेषण के आधार पर हमने देय कर की गणना की जो कि राजनीतिक दलों को छूट दी है।

देयकर राशि प्राप्त करने के लिए उपयोग मे लाये गये सूत्र की व्याख्या करने के लिए भाजपा, कांग्रेस और बसपा का उदाहरण लेते है नीचे दी गई गणना वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए है –

राजनीतिक दलो द्वारा दायर आयकर रिटर्न जो कि RTI से प्राप्त है के आधार पर (वित्तीय वर्ष 2008–09)			
	BJP	**INC**	**BSP**
Income from House Property (as declared in IT Returns Filed)	20,18,786	Nil	Nil
Profits and Gains from Business and Profession	-2,94,13,325	496,87,62,060	181,84,84,774
Income from Other Sources	219,64,07,142	Nil	Nil
Gross Total Income (as declared in the IT returns filed)	**216,90,12,603**	**496,87,62,060**	**181,84,84,774**
Total Income Rounded Off U/S 288A	**216,90,12,603 (216.90 crore)**	**496,87,62,060 (496.87 crore)**	**181,84,84,770 (181.84 crore)**
कुल आय पर कर की गणना (वित्त वर्ष 2008–09)			
Tax on ₹ 1,50,000	Nil	Nil	Nil

Tax on ₹ 1,50,000 (3,00,000-1,50,000) @ 10%	15,000	15,000	15,000
Tax on ₹ 2,00,000 (5,00,000-3,00,000) @ 20%	40,000	40,000	40,000
Tax on Total Income declared (Total Income-5,00,000)@ 30%	**65,06,08,781**	**149,05,33,618**	**54,54,50,431**
Add: Surcharge @ 10%	6,50,60,878	14,90,53,362	5,45,45,043
Sum	71,56,69,659	163,95,86,980	59,99,95,474
Add: Education Cess @ 2%	1,43,13,393	3,27,91,740	1,19,99,909
Sum	72,99,83,052	167,23,78,720	61,19,95,383
Add: Secondary and Higher Education Cess @ 1%	71,56,697	1,63,95,870	59,99,955
Sum	73,71,39,749	168,87,74,590	61,79,95,338
Tax Payable	**73,71,39,749 (73.71 crore)**	**168,87,74,590 (168.87 crore)**	**61,79,95,338 (61.79 crore)**

नीचे दी गई तालिका दलों द्वारा देयकर प्रदर्शित करती है। हालांकि इसमे आयकर अधिनियम की धारा 13A के तहत छूट दी गई है। मुख्य दलों द्वारा देयकर इस प्रकार है।

दल	वित्त वर्ष (2006-07) में देय कर में मिली छूट (करोड़ में)	वित्त वर्ष (2007-08) में देय कर में मिली छूट (करोड़ में)	वित्त वर्ष (2008-09) में देय कर में मिली छूट (करोड़ में)	तीन वर्षों में देय कर में मिली छूट (करोड़ में)
BJP	26.86	40.68	73.71	**141.25**
INC	57.00	75.05	168.87	**300.92**
BSP	15.44	23.60	0.80	**39.84**
CPI (M)	6.98	4.62	6.53	**18.13**
CPI	0.01	0.21	0.02	**0.24**
NCP	0.90	0.68	8.06	**9.64**

(द) प्रतिवर्ष सरकारी/सार्वजनिक कार्यालयों के किराए पर राजनीतिक दलो के लिए राजकीय वित्तीय पोषण

राजनीतिक दलो को आवासीय एवं कार्यालय उपयोग के लिए संपदा निदेशालय द्वारा सुविधाए प्रदान की जाती है। इन सम्पत्तियों के लिए किराया या देय राशि के रूप मे धन की एक सांकेतिक राशि चार्ज की जाती है।

राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को कार्यालय एवं आवासीय प्रयोजनो के लिए विभिनन सुविधाएं प्रदान की गई है। ADR द्वारा इन सुविधाओं की जानकारी प्रदान की गई थी। ADR को ये जानकारी सुचना के आधार के तहत संपदा निदेशालय से प्राप्त हुई ये सुविधायें दिल्ली के लुटियन क्षेत्र की प्रमुख क्षेत्रो मे स्थित है। टाइम्स आफ इंडिया की 21 अगस्त 2010 की रिपोर्ट के अनुसार (http://timesofindia.indiatimes.com/india/With-pay-hike-an-MP-to-cost-Rs-37L-a-year/articleshow/6384362.cms) दिल्ली के लुटियन क्षेत्र मे किराया 2 लाख प्रति माह तक हो सकता है। यदि हम इसे अनुमानित राशि के रूप मे लेते है तो हम पाते है राजनीतिक दलो द्वारा भुगतान किया गया किराया बाजार की तुलना मे बहुत कम है।

छल	कार्यालय एवं पता	कार्यालय के लिए दल द्वारा कुल देय किराया (प्रतिमाह	प्रतिमाह बाजार किराया समाचार पत्र के अनुसार	प्रतिमाह प्रभावी राजकीय वित्तीय पोषण	प्रतिवर्ष प्रभावी वित्तीय पोषण (लाख)	प्रत्येक दल के लिए कुल राजकीय वित्तीय पोषण (रु. लाख)
INC	24, Akbar road	48,755	2,00,000	1,51,245	**18.15**	**84.08**
	5, Raisina Road	37,318	2,00,000	1,62,682	**19.52**	
	26, Akbar Road	5,167	2,00,000	1,94,833	**23.38**	
	C II/109, Chanakyapuri	8,078	2,00,000	1,91,922	**23.03**	
BJP	11, Ashoka Road	73,585	2,00,000	1,26,415	**15.17**	**37.19**
	14, Pt Pant Marg	16,437	2,00,000	1,83,563	**22.02**	
BSP	16, G.R.G. Road	935	2,00,000	1,99,065	**23.88**	**23.88**
NCP	10, B.D. Marg	935	2,00,000	1,99,065	**23.88**	**23.88**

राजनीतिक दलों को रहने के लिए V.P. House मे स्थान आवंटित किया गया है जिसकी एक सूची नीचे दी गई है। हालांकि इन रहने की सुविधाओं का बाजार का किराया मूल्य हम प्राप्त नही कर सके।

दल	रहने का सीान एवं पता	दलो द्वारा रहने के लिए दिया गया किराया (प्रतिमाह)
INC	1, V.P.House	352
	101, V.P.House	352
	16, V.P.House	352
	104, V.P.House	352
	112, V.P.House	352
	211, V.P.House	352
	411, V.P.House	352
	416, V.P.House	352
BJP	24, V.P.House	352
	115, V.P.House	352
	122, V.P.House	352
	301+ SQ, V.P.House	382
	302, V.P.House	352
	317, V.P.House	352
	417, V.P.House	352
	503, V.P.House	352
RJD	13, V.P.House	508

ऊपर उल्लेखित सुविधाएं केवल वो है जो दिल्ली मे है। महानगरो, शिमला, गाजियाबाद, चंडीगढ़, फरीदाबाद और नागपुर मे सरकारी संपत्तियों का रख रखाव एवं प्रबंधन संपदा निदेशालय द्वारा किया जाता है जबकि शेष नगरों एवं कस्बों मे सरकारी सम्पत्ति का प्रबंधन CPWD द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को रहने के लिए एवं कार्यालयों के लिए देश के अन्य भागो मे भी सुविधायें दी गई है। ये सुविधायें न केवल उन्हे नाममात्र दर पर दी गई है बल्कि इनका रख–रखाव व पुर्ननिर्माण भी राज्य के खर्च पर होता है राज्य अप्रत्यक्ष रूप से इन पर खर्च कर रहा है इसलिए राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया जाना चाहिए।

(ज) ऊपर उल्लेख की गई सुविधाओं के लिए राजनीतिक दलो पर कुछ राजकीय वित्तीय पोषण

नीचे दी गई तालिका विभिनन सुविधाओं एवं राजनीतिक दलो की क्रियाओं पर राज्यों द्वारा 1 वर्ष में खर्च की गई कुल राशि प्रदर्शित करती है।

छल	लोकसभा 2009 चुनाव मे प्रचार के लिए दूरदर्शन पर राजकीय वित्तीय पोषण (रु. करोड़)	ऑल इण्डिया रेडियो पर प्रसारण के लिए राज्य द्वारा कुल खर्च (रु. लाख)	लोकसभा 2009 चुनाव मे मतदाता सूची पर राजकीय वित्तीय पोषण (रु. करोड़)	वित्तीय वर्ष 2008–2009 मे देय कर मे छूट (रु. करोड़)	दलों के कार्यालयों के लिए प्रतिवर्ष प्रभावी राजकीय वित्तीय पोषण (रु. करोड़)	राजनीतिक दलो पर राज्यो द्वारा खर्च कुल राशि (रु. करोड़)
BJP	2.51	0.06	2.45	73.71	0.37	**79.59**
INC	2.88	0.07	2.48	168.87	0.84	**175.63**
BSP	1.23	0.03	2.82	0.80	0.24	**5.1**
CPI	0.9	0.02	0.31	0.02	*	**1.21**
CPI(M)	1.26	0.03	0.46	6.53	*	**8.28**
NCP	0.93	0.02	0.38	8.06	0.24	**9.63**
RJD	1	0.02	0.25	*	*	**1.34**
*Unable to obtain information on the concerned facility for the respective political party						

ऊपर उल्लेखित किये गये खर्च केवल वर्ष 2009 के कुछ खर्च है। **यहां कुछ राज्य द्वारा खर्च करने वाली कुछ और सुविधाएं भी है जो हिसाब मे नही है।** इनमे शामिल नही है –

1. 2009 मे 7 राज्यों में विधान सभा चुनाव से राष्ट्रीय एवं राज्यीय दलों का मतदाता सूची की मुफ्त आपूर्ति पर राजकीय वित्तीय पोषण
2. 2009 मे 7 राज्यों में विधान सभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलो के लिए आकाशवाणी पर मुफ्त प्रसारण के लिए राजकीय वित्तीय पोषण।
3. 2009 मे 7 राज्यों मे विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के प्रचार पर क्षेत्रीय केन्द्रों पर मुफ्त प्रसारण पर राजकीय वित्तीय पोषण।

4. राजनीतिक दलो को कार्यालयो के रहने के लिए 352–508 (प्रतिमाह) की मामूली दर पर उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए वित्तीय पोषण जैसे राजनीतिक दलो को रहने के लिए दी गई इन सुविधाओं का बाजार का किराया मूल्य उपलब्ध नही है तो प्रभावी राजकीय वित्तीय पोषण मे की गणना नही की गई है। हालांकि इन आवास सुविधाओं की सूची ऊपर दी गई है।

5. राजनीतिक दलो को दिल्ली के अलावा अन्य राज्यो/शहरो के रहने के लिए एवं कार्यालयों के लिए प्रदान की गई सुविधाओं पर राजकीय वित्तीय पोषण की गणना नही है।

6. CPWD के अनुसार राजनीतिक दलों को प्रदान की गई संपत्ति के निर्माण पर, रखरखाव, मरम्मत, उन्नयन और आधुनिकरण पर राजकीय वित्तीय पोषण

7. सामान्य ज्ञान के अनुसार, राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारो की सुरक्षा पर धन की एक बड़ी राशि खर्च होती है, के बारे मे पता है।

8. यहाँ संभवतः अन्य तरीके भी है जिसके माध्यम से राजनीतिक दल राज्यो से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय पोषण प्राप्त करते हैं जोकि राजनीतिक दल घोषित नही करते **अतः** इसकी हमे जानकारी नही है |

जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है राजनीतिक दल करदाताओं का काफी धन खर्च करते है इसलिए उन्हें सार्वजनिक प्राधिकरण के दायरे मे लाया जाना चाहिए।

4. व्यापक सार्वजनिक हित –

सूचना का प्रकटीकरण **जनता के व्यापक हित** मे है। राजनीतिक दलों की वित्तीय पारदर्शिता मे भी व्यापक सार्वजनिक हित है। ये कैसे आय कमाते है और इनके क्या खर्च है।

संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग ने चुनाव राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली की समीक्षा विशेषकर चुनावों व सुधारों से सम्बन्धित शीर्षक से एक परामर्श पत्र जारी किया था पत्र दर्शाता है “राजनीतिक दल किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए अपरिहार्य है और चुनावी प्रक्रिया नमे उम्मीदवारो को खडा करने और चुनाव अभियान संचालन मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

इसके अलावा **भारतीय विधि आयोग की चुनाव कानून सम्बन्धित सुधारो पर 170वीं रिपोर्ट** कहती है –

“ये कहना चाहिए यदि **लोकतंत्र और जवाबदेही हमारी संवैधानिक व्यावस्था के कोर का गठन करते है ठीक उसी प्रकार की अवधारणा राजनीतिक दलो पर लागू की जानी चाहिए जो कि संसदीय लोकतंत्र का अभिन्न अंग है।** ये राजनीतिक दल होते है जो सरकार का गठन करते है और देश का शासन चलाते है इसलिए ये आवश्यक है कि राजनीतिक दलो के कार्यकाज मे आन्तरिक लोकतंत्र, जवाबदेही और वित्तीय पारदर्शिता हो। एक राजनीतिक दल जो अपने आंतरिक कामकाज मे लोकतांत्रिक सिद्धांतो का सम्मान नही करता, हम उनसे देश के शासन मे उन सिद्धान्तों के सम्मान की उम्मीद नही कर सकते । आंतरिक कामकाज मे तानाशाही और बाहरी कामकाज मे लोकतन्त्र नही हो सकते हैं”। आवेदक ने राजनीतिक दलो से उन योगदानकर्ताओ की जानकारी मांगी थी जिन्होंने 20,000 से ऊपर का योगदान दिया है। जो कि नही दी गयी। इस जानकारी से राजनीतिक दलो के बीच वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही लाने मे मदद मिलेगी। इसलिए राजनीतिक दलो को लगातार इस जानकारी को प्रदान करना चाहिए और इन्हें सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया जाना चाहिए।

(क) जैसे कि राजनीतिक दल सार्वजनिक कर्त्तव्य के प्रदर्शन मे लगातार लगे है यह जानकारी शिकायतकर्ता को उपलब्ध करानी चाहिए। राजनीतिक दल दावा करते है कि वे सार्वजनिक भलाई का कार्य करते है अतः यह महत्त्वपूर्ण है कि वे जनता के प्रति अधिक जवाबदेह हो। राजनीतिक दलो के कार्याकरण और वित्तीय संचालन मे पारदर्शिता सार्वजनिकहित मे आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक दलो द्वारा बढ़ते भ्रष्टाचार और काले धन के उपयोग के बारे मे जानकारी हो गई जब कॉमनकॉज बनाम भारतीय संघ और अन्य ((1996) 2 Sec 752) के मामले मे निम्नानुसार पाया –

“18... सत्ता की खोज मे राजनीतिक दलो ने आम चुनाव (लोकसभा) पर 1 हजार करोड़ से अधिक खर्च किए फिर भी खर्च की गई बड़ी राशि के लिए कोई खाता नही है और न ही जवाबदेही। कोई उचित खाते या लेखा जोखा नही है। कहां से पैसा आता है और कहां पैसा जाता है कोई नही जानता। एक ऐसे लोकतन्त्र मे जहाँ कानून का शासन हो इस प्रकार के कानून के अनिवार्य प्रावधानो का उल्लंघन काले धन का नग्न प्रदर्शन नही कर सकते।”

यहाँ राजनीतिक दलो के कामकाज को प्रकाश मे लाने और उन्हे देश की जनता के प्रति जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है। ये केवल तभी हो सकता है जब राजनीतिक दलो को सार्वजनिक प्राधिकरण बनाया जाए और उनके बारे मे सूचना के आधार अधिनियम के तहत जानकारी जनता को मिले। CIC ने भी

जनता के बड़े कल्याण के लिए अपने निर्णय No. 5607/IC(A).2010 मे सभी निजी स्कूलो को सार्वजनिक प्राधिकरण कहा है। इसके अनुसार "विद्यालयो के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रबंधन एवं विनिमय से संबंधित मुद्दे विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कि निजी निकाय की सनक और मनमर्जी पर नही छोड़ सकते है भले ही वे सरकार द्वारा वित्त पोषित हो या नहीं।"

राजनीतिक दल स्पष्ट रूप से कहते है कि वे जनता के लिए काम करते है उनकी दल की विचारधारा का दावा है कि वे आम जनता के उत्थान के लिए काम करते है तो फिर ये कैसे संभव है कि वे सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे मे नही आते है।

आवेदन को RTI मे पूछी जानकारी मिलनी चाहिए जिससे की सुप्रीम कोर्ट की काले धन के नग्न प्रदर्शन पर चिन्ता पर कुछ प्रकाश लाया जा सके। ये केवल तभी हो सकता है जब राजनीतिक दल सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित हो।

(ख) हमारे अधिकांश नेता एक विशिष्ट विचारधारा वाले दल का प्रतिनिधी होने का दावा करते है जो मोटे तौर पर देश के निति निर्माण को नियंत्रित करता है इसलिए राजनीतिक दल भी एक सार्वजनिक पदाधिकारी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सार्वजनिक कार्यकर्ताओं से संबंधित जानकारी के नागरिको तक पहुँच के महत्त्व पर बल दिया है। अपनी रिट याचिका (सिविल) 2002 (ADR वर्सेस भारतीय संघ और अन्य) के 515 नं. 2003/03/13, दिनांक क्रम मे सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्णय नीचे दिए गए रूप मे उद्धता किया है –

(i) (1975) 4 SCC 428, मे उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण और अन्य द्वारा निम्न पाया गया है –

"जानने का अधिकार जो अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की अवधारणा पर आधारित है हालाकि पूर्ण न होते हुए एक महत्वपूर्ण कारक है जो तब सावधान कर सकता है जब किसी स्तर पर लेन देन मे गोपनीयता हो , जो सार्वजनिक सुरक्षा पर प्रतिघात न करती हो....."

"जिम्मेदारी की सरकार मे, जहाँ जनता के सभी एजेंट उनके आचरण के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, वहाँ कुछ रहस्य हो सकते है। इस देश के लोगो को सभी सार्वजनिक कार्य, जो भी सार्वजनिक तरीके से किए

गए हों, सार्वजनिक कार्यकर्ताओं द्वारा किये गए हो जानने का अधिकार है। उन्हे अपने सभी असर मे हर सार्वजनिक लेन–देन का विवरण जानने का अधिकार है........"

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ऊपर दी गई सुप्रीम कोर्ट की टिपपणियो के साथ संगत है। राज्यो के रूप मे इसकी प्रस्तावना –

"जबकि लोकतंत्र को एक जानकार नागरिक एवं सूचना की पारदर्शिता की आवश्यकता होती है जो कि इसके कामकाज के लिए और भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए सरकारो और शासन के लिए उनके साधनो की जवाबदेही के लिए महत्वपूर्ण है;"

इसलिए राजनीतिक दलो को 20000+ योगदानकर्ताओंकी माँगी गई जानकारी को आवेदक को उपलब्ध करना चाहिए। राजनीतिक दलो को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित नही करने से भारतीय लोकतन्त्र और उसके पादर्शी कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

5. बहुत सारे संगठन जिन्हें सरकार द्वारा बहुत कम वित्तीय पोषण मिलता है सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किये गए है इस प्रकार राजनीतिक दलो को भी सार्वजनिक प्राधिकरण धोषित किया जाना चाहिए और उन्हे सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे मे लाया जाये।

6. यूरोप व मध्य अमेरिकी देशो मे राजनीतिक दलो की वित्तीय कार्यवाही से संबंधित प्रकटीकरण सार्वजनिक डोमेन मे उपलब्ध है पोलैंड जैसे स्कैन्डिनेवियन देश मे भी राजनीतिक दलो का सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया गया है। और वे स्वतन्त्रता अधिनियम के तहत आते है। भारत मे भी इस कदम को लेने की आवश्यकता है। राजनीतिक दल जो खुद सार्वजनिक भलाई का काम करने का दावा करते है। सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित होने चाहिए।

7. CIC के सामने मौलिक निवेदन–

सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप मे राजनीतिक दलो की घोषणा पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और सार्वजनिक बहस को प्रोत्साहित करेगा। यहाँ राजनीतिक दलो के कार्यकरण और उनके द्वारा प्राप्त धन पर सवाल उठाये जा रहे है। राजनीतिक दल लोकतन्त्र का अभिन्न हिस्सा है। जब तक ये जनता के प्रति

जवाबदेह नही होते, लोकतन्त्र कैसे सफल हो सकता है? इसलिए राजनीतिक दलो के कामकाज के बारे मे अधिक पारदर्शिता प्राप्त करने की आवश्यकता है। राजनीतिक दलो को सार्वजनिक प्राधिकरण डोमेन मे लाने से लोगो का लोकतन्त्र और राजनीतिक व्यवस्था पर विश्वास बढ़ेगा। इसलिए राजनीतिक दल सार्वजनिक प्राधिकरण डोमने मे लाने चाहिए, क्योंकि :–

– सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप मे राजनीतिक दलो की घोषणा, व्यापक सार्वजनिक हित मे होता है **जिससे** सार्वजनिक बहस को बढ़ावा देने की संभावना है।

– जनता का विश्वास राजनीतिक दलो मे बनाये रखने और बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि उनमे पारदर्शिता बढ़े।

– राजनीतिक दलो को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित करने से पारदर्शिता बढ़ाने मे सहायता मिलेगी और जनता के प्रति राजनीतिक दलो की जवाबदेही मजबूत होगी।